International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9, Issue 3, March - 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

अम्बेडकर के चिंतन में समाज और लोकतंत्र की संकल्पना

विवेक

प्रस्तावना

डॉ. भीमराव अम्बेडकर लोकतंत्र को मानवीय जीवन का मुख्य आधार मानते थे। उनका विश्वास था कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास लोकतंत्र के बिना संभव नहीं है। अमरीकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की लोकतंत्र को लेकर दी गई परिभाषा, 'जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन ही लोकतंत्र है' में अम्बेडकर का अटूट विश्वास था। बाल्यावस्था से ही अम्बेडकर के मन पर धार्मिक शिक्षा के संस्कारों की गहरी छाप थी। उनके अस्पृश्य होते हुए भी उनके प्रति स्नेह रखने वाले कुछ अध्यापक थे। अम्बेडकर के परिवार का वातावरण भक्तिपूर्ण था। सुबह और शाम को उनके पिता ईश्वर की पूजा करते थे। उन्होंने अपने पिता से महाभारत और रामायण सुनी। साहस और प्रगति की विरासत अम्बेडकर को अपने पिता से मिली। उत्पीड़न तथा कठिनाइयों के कारण अम्बेडकर का विद्रोही व्यक्तित्व निखर कर आया। दलित वर्ग में पैदा होने के कारण अम्बेडकर को बाल्यकाल से ही सामाजिक समरसता, लोकतंत्र, समानता के लिए संघर्ष करना पड़ा जिनका उनके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ा।

अम्बेडकर के सामाजिक विचार

अम्बेडकर के सामाजिक जीवन में कबीर का गहरा प्रभाव था। अम्बेडकर का कहना था कि एक समाज में ऊंच-नीच क्यों? मनुष्य-मनुष्य के बीच घृणा क्यों? भेदभाव क्यों? क्या समाज के शोषित वर्ग का यह सोचना अपराध है कि समानता का अर्थ है समान अवसर और अपनी ताकत से पैदा किए गुणों का सम्मान करने से है। सामाजिक भेदभाव ने भारतीय समाज को बर्बाद कर दिया है। डॉ. अम्बेडकर की भारतीय संविधान पर अमिट छाप अंकित है। वे शिक्षा और धार्मिक स्तर पर भी विभिन्न उपाय अपनाने का सुझाव देते है।

- **शांतिमय तरीकें से सामाजिक परिवर्तन** - अम्बेडकर का मत था कि सामाजिक परिवर्तन के लिए कई विधियां हो सकती है, सामाजिक परिवर्तन के लिए अम्बेडकर हिंसात्मक

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9, Issue 3, March - 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

विधि के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने कहा था कि नवीन समाज में घृणा, हिंसा और वैमनस्य का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। आधुनिक समय में हिंसा से परिवर्तन लाना बौद्धिक दृष्टि के विपरीत है। शक्ति और अनावश्यक दबाव का प्रयोग करना धर्म के विरुद्ध है। इसके लिए शांतिमय ढंग उत्तम है। अम्बेडकर का मत था कि शांतिपूर्ण तरीकों से ही भारत को स्वतंत्रता मिली है। वे युद्ध के विरोधी होते हुए भी बुराई से लड़ने के पक्ष में थे। उनके अनुसार युद्ध का अंत करने के लिए युद्ध में विजय प्राप्त करना आवश्यक है।

- **महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण** - अम्बेडकर महिलाओं को पुरुषों के समान मानते थे। महिलाओं के संबंध में अम्बेडकर का दृष्टिकोण उदार था। उनका मत था कि नारी वर्ग का सुधार ही समाज सुधार है और अंततः राष्ट्र का सुधार है। उन्होंने अपने सम्मेलनों, भाषणों, उपदेशों द्वारा नारी वर्ग को जागृत करने का प्रयास किया। अम्बेडकर का मानना था कि स्त्रियों को पुरूषों के समान ही सभी क्षेत्रों में अधिकार मिलने चाहिए। उनको पुरुषों के समान स्वतंत्रता और सम्मान प्राप्त होना चाहिए।

  अम्बेडकर महिलाओं की स्वतंत्र भूमिका के समर्थक थे। उनके अनुसार हिंदू समाज में संपत्ति का उत्तराधिकार निःसंतान होने पर किसी पुत्र या पुत्री के गोद लेने पर, पुनः विवाह आदि के संदर्भ में महिलाओं के साथ भेदभाव करने का विरोध किया। वे महिलाओं को सभी लोकतांत्रिक अधिकार प्रदान करना चाहते थे। उनका मत था कि नारी को नारी होने के कारण अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

  अम्बेडकर ने महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए हिंदू कोड बिल तैयार कर हिंदू समाज में क्रांति ला दी। अम्बेडकर ने महिलाओं को पति और पिता की संपत्ति में अधिकार दिलाया। बालिग नारी की सहमति के बिना विवाह नहीं हो सकता। वह अपनी सहमति से किसी भी वर्ग और जाति के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है तो वह विवाह वैध माना जाएगा। पति के अत्याचारों से बचने के लिए विवाह संबंध विच्छेद करने का भी अधिकार होगा। उन्होंने भारतीय संविधान में स्त्री मुक्ति के लिए अनुच्छेद 15 (1) द्वारा लिंग के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को समाप्त किया। स्त्री को पुरुष के समान सारे

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9, Issue 3, March - 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

राजनीतिक अधिकार प्रदान किए। अनुच्छेद 14 द्वारा स्त्री को पुरुष के समान बराबरी का दर्जा दिलाया तथा एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन दिलाने की व्यवस्था की।

अम्बेडकर नारी शिक्षा के समर्थक थे। उनका मानना था कि स्त्रियों की प्रगति जितनी मात्रा में होगी उसके आधार पर मैं उस समाज की प्रगति को नापता हुं। भारत का पतन व अवनति का एक प्रमुख कारण नारी अशिक्षा है तथा स्त्रियों को पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए।

- **जाति व्यवस्था-** अम्बेडकर ने समाज के एक बड़े समूह को समस्त मानवीय स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, आत्मसम्मान, भौतिक और आध्यात्मिक विकास से वंचित करने के लिए जाति व्यवस्था को उत्तरदायी माना। उन्होंने गहन अध्ययन और विश्लेषण द्वारा जाति व्यवस्था की उत्पत्ति, प्रकृति, विशेषता और कमजोरियों को स्पष्ट करते हुए कहा कि जब तक जाति व्यवस्था कायम रहेगी, भारतीय समाज न तो समानता पर आधारित रह सकता है और न ही ऐसी व्यवस्था में व्यक्ति को अपने प्राकृतिक मानवाधिकार हासिल हो सकते है।

  सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए काम करने वाले तत्कालीन समाज सुधारकों के दृष्टिकोण से अम्बेडकर की विचारधारा में फर्क इस आधार पर था कि अन्य समाज सुधारकों ने समाज में विद्यमान कुरीतियों जैसे - विधवा-विवाह, पुनर्विवाह निषेध, स्त्री अशिक्षा, बाल विवाह, अस्पृश्यता आदि का समान रुप से विरोध करते हुए इस क्षेत्र में सुधार के लिए प्रचार का कार्य किया जबकि अम्बेडकर का मानना था कि समस्त कुप्रथाओं व असमानताओं की जड़ जाति व्यवस्था है। अम्बेडकर का मत था कि विभिन्न जातियों को एक सूत्र में बांधने का एकमात्र साधन है अंतरजातीय विवाह और भोज। रक्त मिश्रण द्वारा ही विभिन्न जातियों में लगाव और अपनत्व की भावना का विकास इस सीमा तक हो सकता है कि वे अलगाव के जातिगत आधार को भुला सके। इसके बिना जाति प्रथा को समाप्त नहीं किया जा सकता।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9, Issue 3, March - 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

- **अस्पृश्यता-** अम्बेडकर हिंदू समाज में व्याप्त अस्पृश्यता को समाप्त करना चाहते थे। सामाजिक दृष्टि से पीड़ित वर्ग को समानता की स्थिति में लाना चाहते थे। जाति व्यवस्था केवल अलग-अलग समाज समूह का ही संगठन नहीं है, बल्कि इसका सबसे दूषित और कलंकित रूप अस्पृश्यता के रूप में स्पष्ट दिखाई देता है।

  हिंदू समाज में कुछ समुदायों को अछूत समुदाय की श्रेणी में रखना हिंदू धर्म की एक ऐसी अनोखी प्रथा है, जिसका विश्व में कहीं कोई सादृश्य नहीं मिलता है। अम्बेडकर का मत था कि संविधान में ऐसे प्रावधान किये जाए जो बहुसंख्यक हिंदू समुदाय को राजसत्ता पर अधिकार करने और दलित वर्ग का दमन करने से रोके तथा अछूतों को इतनी राजनीतिक शक्ति प्रदान करें कि वे सामाजिक अत्याचारों से अपनी रक्षा करते हुए अपने अस्तित्व की रक्षा कर सकें।

अम्बेडकर के लोकतांत्रिक विचार

अम्बेडकर लोकतंत्र व्यवस्था के पक्षधर थे। उनका परिवर्तन का रास्ता अराजकतावादी तथा फासीवादी नहीं था। उनका चिंतन हमेशा विवेकशील व पक्षपात रहित रहा और दलितों व पिछड़ों के लिए उनकी आवाज हमेशा ही बुलंद रही। संसदीय प्रणाली में उनका अटूट विश्वास था। संसदीय लोकतंत्र में आर्थिक समानता और आर्थिक स्वतंत्रता को जीवित रखना उनकी पहली प्राथमिकता में शामिल था। अम्बेडकर का मानना था कि लोकतंत्र का अर्थ है- वंशानुगत परंपरा के खिलाफ यानी कोई भी व्यक्ति राजा का वंशानुगत होने के कारण शासक नहीं बन सकता है। यदि उसे शासक भी बनना है तो समय-समय पर जनता द्वारा चुना जाना चाहिए। उसे जनता का समर्थन मिलना आवश्यक है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में वंशानुगत शासन व्यवस्था का कोई स्थान नहीं है। अम्बेडकर का मानना है कि संसदीय शासन व्यवस्था में देश में स्वतंत्रता व न्यायपूर्ण चुनाव का अवसर मिलता है, जिसके आधार पर प्रजातंत्र कार्य करता है। एक सत्ता की राजनीतिक जीवन की कुंजी विपक्ष है तथा विपक्ष का होना लोकतंत्र में आवश्यक है। विपक्ष की भूमिका को स्वीकार करते हुए विपक्ष के नेता को तनख्वा दी जाती है। अम्बेडकर का मानना था कि सरकार के जीवित होने के साथ विपक्ष का जीवित होना भी आवश्यक है। अम्बेडकर ने भारत के सभी नागरिकों को भाषा, धर्म, वर्ग, वर्ण के अलग-अलग रहते हुए भी भारतीय होने का अधिकार

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9, Issue 3, March - 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

प्रदान किया है। भारत को मजबूत बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक प्रणाली दी तथा इस लोकतांत्रिक प्रणाली को और मजबूत करने के लिए समता का ज्ञान दिया। समता तभी स्थापित होगी जब समाज में मानव के द्वारा मानव का शोषण नहीं किया जाएगा। चाहे वह सामाजिक हो या आर्थिक शोषण, भारत में ये एक दूसरे के पूरक होकर विभिन्न रूपों में कायम है।

नवीन समाज की धारणा में लोकतंत्र को अम्बेडकर ने मूलाधार माना। अम्बेडकर का मत है कि लोकतांत्रिक सरकार का एक स्वरुप मात्र नहीं वह तो साहचर्य की स्थिति में रहने का एक ढंग है, जिसमें सार्वजनिक अनुभव का समावेशी रूप से संप्रेषण होता है। लोकतंत्र का मूलाधार अपने साथियों के प्रति आदर की भावना के होने से है।

अम्बेडकर भ्रातृत्व के आधार पर लोकतंत्र स्थापित करना चाहते थे। लोकतांत्रिक व्यवस्था काल्पनिक न होकर वास्तविक होनी चाहिए। चुनाव कराना, वोट देना आदि ही पर्याप्त नहीं है बल्कि लोकतंत्र में सब की समान संपत्ति होनी चाहिए न की कुछ व्यक्तियों की। सबकी समान संपत्ति मानकर प्रजातंत्र की जड़े मजबूत हो सकती है।

अम्बेडकर का मत था कि निष्पक्ष चुनाव पहला तथा न्यायपूर्ण चुनाव लोकतंत्र का दूसरा स्तंभ है। बिना किसी खून खराबे के शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता दूसरे हाथों में हस्तांतरित हो सकती है। पूंजीपतियों और व्यापारीगण किसी भी राजनीतिक दल को पैसे देकर राजनीति में हस्तक्षेप कर सकते है।

विचारों और विश्वासों में समानता भी मानव को समाज में संगठित नहीं कर सकती, बहुत सी बातें एक दूसरे स्थान पर सरलता से चली जाती है। संस्कृति का प्रचार मिलने-जुलने से होता है। यही कारण है कि दो समुदायों के अचार विचार और अन्य बातों में समानता पाई जाती है, हालांकि वह शारीरिक रूप से समीप नहीं रहते है। अतः कुछ बातों में समानता ही समाजिक व्यवस्था का मूलाधार नहीं है। अम्बेडकर मात्र समानता ही नहीं चाहते थे, बल्कि वह समाज के सभी सदस्यों में सामान्य उद्देश्य और समान एकता का भाव भी चाहते थे। सामान्य उद्देश्य और भाईचारे की भावना के बिना लोग एकता पर आधारित समाज का निर्माण नहीं कर सकते। समाज तो एक ऐसा साधन है, जिसके द्वारा सभी लोग आपस में इस प्रकार मिलते है कि विचार, अनुभव, भावना और अन्य मूल्य सामान्य बन जाए। इस संबंध में अम्बेडकर का मत है

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9, Issue 3, March - 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

कि "केवल वही लोग वास्तविक समाज का निर्माण करते है, जो सभी वस्तुओं को सामान्य संपत्ति समझते है। आचार-विचारों में समानता पाना सामान्य संपत्ति के विचार से बिल्कुल अलग है तथा वह मार्ग जिसके द्वारा सभी लोग यह अनुभव करें कि सब वस्तुएं तथा मूल्य सामान्य है, केवल आदान-प्रदान के द्वारा ही आगे बढ़ता है।"

वास्तव में आदान-प्रदान के द्वारा मानव में समानता के भाव का उदय होता है। आदान-प्रदान, मिलना-जुलना ऐसे साधन है, जिनके द्वारा नैतिक नियम और उद्देश्यों का प्रसार या सामान्यीकरण होता है। विकासशील प्रगति का भाव या बहुत सी अन्य बातें आदान-प्रदान से संभव है, ये वास्तविक समाज के लक्षण है। उनके अनुसार "वास्तविक समाज के लिए सामान्य क्रियाओं की आवश्यकता है ताकि सब लोगों में सामान्य भावना का उदय हो। विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों को सामान्य क्रियाओं में हिस्सेदार बनाना आवश्यक है, क्योंकि वे सबकी सफलता को अपनी सफलता अनुभव करेंगे और सबकी असफलता को अपनी असफलता समझेंगे। यही भावना मुख्य है, जो सब व्यक्तियों को एक सूत्र में बांध सकती है।"

लोकतंत्र के महत्वपूर्ण आधार स्तंभ

- **स्वतंत्रता -** स्वतंत्र भ्रमण, जीवन, संपत्ति के अर्थ में स्वतंत्रता आवश्यक है। अम्बेडकर ने कहा है कि सभी लोगों को स्वतंत्र आवागमन की सुविधा होनी चाहिए तथा उन्होंने निजी या व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार का भी समर्थन किया। स्वास्थ्य तथा जीवन की सुरक्षा उसी समय भली-भांति संभव हो सकती है, जब व्यक्ति को निजी संपत्ति रखने तथा प्रयोग करने का अधिकार हो। अम्बेडकर के अनुसार "यदि व्यक्तियों की शक्तियों को प्रभावशाली और सक्षम ढंग से उपयोग में लाया जाए तो निश्चित ही स्वतंत्रता का अधिकार लाभदायक सिद्ध होगा।" अम्बेडकर ने राजनीतिक स्वतंत्रता, दल बनाने, चुनाव लड़ने, मताधिकार प्रयोग करने, संगठित होने, अभिव्यक्ति और प्रचार आदि का समर्थन किया।

  एक आदर्श समाज के लिए अम्बेडकर ने धार्मिक आजादी को भी आवश्यक माना। अम्बेडकर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को धर्म धारण एवं धर्म प्रचार करने की स्वतंत्रता दी जानी आवश्यक है। सभी लोगों को धार्मिक संस्थाएं निर्मित करने का अधिकार भी होना चाहिए। किसी व्यक्ति या समुदाय के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9, Issue 3, March - 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

जाना चाहिए। राजनीतिक दृष्टि से वह राज्य के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप का समर्थन करते थे। उनके अनुसार "धर्मनिरपेक्ष राज्य को किसी धर्म विशेष पर बल नहीं देना चाहिए। राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान होने चाहिए।" इस प्रकार स्पष्ट है कि अम्बेडकर समाज, व्यक्ति और देश की समृद्धि, संगठन और शक्ति के लिए सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं के पक्ष में थे। उनके अनुसार लोकतंत्र में स्वतंत्रता का होना बहुत आवश्यक है।

- **समानता** - अम्बेडकर के अनुसार समानता के सिद्धांत को व्यवहारिक और वैचारिक दोनों रूपों से महत्व देना चाहिए। उन्होंने यह माना है कि सभी मानव समान पैदा नहीं होते, किन्तु उन्होंने प्रश्न किया कि क्या सभी मनुष्यों के साथ असमानता का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वे आसमान जन्मे है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि "जहां तक व्यक्तिगत प्रयासों का संबंध है, उनको अलग या असमान माना जा सकता है, परंतु लोगों को अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा और शक्ति को प्रदर्शित करने का अवसर तो दिया जाना चाहिए ताकि वे अपने को प्रगतिशील बना सके तथा समाज में कुछ योगदान कर सकें।" यदि व्यक्तियों को असमान समझकर व्यवहार किया जाए तो उनकी दशा अकल्पनीय हो जाएगी।

  अम्बेडकर के अनुसार यदि ऐसा ही ठीक समझा गया तो जिन व्यक्तियों के पक्ष में शिक्षा, जन्म, परिवार, नाम और व्यवसायिक संबंध है, वही लोग मानव दौड़ में प्रथम आएंगे। उन्हीं को अवसर प्राप्त होंगे, किन्तु यह एक कृत्रिम चुनाव होगा, जिसका आधार विशेष प्रतिष्ठा होगी न की योग्यता। अम्बेडकर के अनुसार चुनाव हमेशा योग्यता के आधार पर ही होना चाहिए अन्यथा सामाजिक प्रजातंत्र और मानवतावाद के प्रति घोर अन्याय होगा। उन्होंने यह भी कहा कि "वे लोग जो बिना सुविधाओं के आगे नहीं बढ़ सकते, उन्हें आवश्यक रूप से सुविधाएं दी जानी चाहिए। ऐसा कार्य न्याय और निष्पक्षता से किया जाए, तो बहुत अच्छा होगा।"

  अम्बेडकर के अनुसार यदि कोई समाज अपने सदस्यों को प्रगतिशील, उत्तम और उत्तरदायी बनाना चाहता है, तो समता को आधार मानकर ही संभव हो सकता है, इसलिए नहीं कि सब लोग समान है, बल्कि इसलिए कि उनका न्याय संगत विभाजन करना असंभव है।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9, Issue 3, March - 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

उन्होंने अवसरों की समानता पर बल नहीं दिया, अपितु प्राथमिकताओं की समता को न्यायोचित स्थान दिया।

- **भ्रातृत्व** - परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार भ्रातृत्व का अर्थ दान या दया से है ,किंतु अम्बेडकर ने भ्रातृत्व के इन अर्थों को नहीं माना और कहा कि भ्रातृत्व का आदर्श मुख्यत सामाजिक है, न कि ईश्वरवादी। उनके के शब्दों में "आदर्श समाज प्रगतिशील होना चाहिए। उसमें ऐसी भरपूर सारणियाँ होनी चाहिए कि वह समाज के एक हिस्से में हुए परिवर्तन की सूचना अन्य हिस्सों को दे सके। आदर्श समाज में अनेक प्रकार के स्तर होने चाहिए जिन पर लोग सोच समझकर विचार विमर्श करें और उनके बारे में एक दूसरे को बताएं तथा सब उसमें हिस्सा ले। दूसरे शब्दों में समाज के भीतर संपर्क सूत्र सर्वत्र होना चाहिए। इसी को भ्रातृत्व कहा जाता है और यह प्रजातंत्र का दूसरा नाम है।" इसलिए अम्बेडकर का आदर्श समाज जो कि प्रजातंत्र पर आधारित है, वर्ग हिंसा, वर्ग संघर्ष, उग्रवाद, बदले की भावना आदि को महत्व नहीं देता है।

  अम्बेडकर मनुष्य की स्वतंत्रता की पूरी तरह सुरक्षा तथा समाज की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य के हस्तक्षेप और दायित्व को आवश्यक मानते है। यह उनके मानववाद को केवल काल्पनिक मानववाद न होकर वास्तविक सामाजिक मानववाद में रूपांतरित करता है। सामाजिक प्रजातंत्र के बारे में उन्होंने बताया है कि ये एक जीवन पद्धति है जो स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृभाव को जीवन के आदर्श के रूप में स्वीकार करती है।

अम्बेडकर के लोकतंत्र का मुख्य आधार मानव और उसकी स्वतंत्रता, उसके सम्मान में अटूट आस्था को परिलक्षित करती है और यह तभी संभव हो सकता है जब राज्य ऐसी परिस्थितियां तैयार करें, जिससे सब लोगों को विकास हो सके। समाज का मूल उद्देश्य सामाजिक न्याय या जनकल्याण से है तथा राज्य का कार्य इसे व्यावहारिक रुप देना है। समाज और राज्य में सामंजस्य मानवता के हित में है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में वे राज्य को एक आवश्यक संस्था मानते है क्योंकि समाज की आंतरिक अशांति और बाहरी आक्रमण से राज्य ही रक्षा करता है।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9, Issue 3, March - 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

सामाजिक न्याय की अवधारणा में आर्थिक तत्व की प्रमुख भूमिका होती है और अम्बेडकर ने इस तथ्य पर पर्याप्त ध्यान दिया है। अम्बेडकर का मानना है कि सामाजिक लोकतंत्र के अभाव में राजनीतिक प्रजातंत्र निरर्थक होगा। आर्थिक समानता की स्थापना के लिए वे आर्थिक नियंत्रण राज्य के हाथ में देना चाहते थे, जिससे आर्थिक असमानता को कम किया जा सके।

अम्बेडकर ने औद्योगिकीकरण का भी समर्थन किया है। वे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति को अनिवार्य मानते है। अम्बेडकर राजनीतिक दृष्टि से व्यस्क मताधिकार, प्रजातंत्र, एक मत - एक व्यक्ति, एक मुल्य, कानून का शासन, संवैधानिक प्रभुसत्ता, संसदीय शासन प्रणाली आदि के पक्षधर रहे है। वे राज्य के समाजवाद के महत्व को स्वीकार करते है, क्योंकि भारत में आम लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकारी तंत्र के सदुपयोग की जरूरत है। अम्बेडकर का मानना है कि लोकतंत्र न केवल एक राजनीतिक व्यवस्था है, यद्यपि एक सामाजिक जीवन पद्धति भी है, जिसका स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व के आधार पर नियमन करना संवैधानिक अनिवार्यता है।

अम्बेडकर के मतानुसार "भारतीयों को मात्र गणतंत्र से ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए। राजनीतिक जनतंत्र अधिक दिनों तक आगे नहीं बढ़ सकता, यदि उसका आधार सामाजिक जनतंत्र नहीं है।" अम्बेडकर मानते थे कि व्यक्तित्व के निर्माण में स्वतंत्रता की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो अपने को अनेक रूपों में अभिव्यक्त करती है। स्वतंत्रता के माध्यम से ही व्यक्ति के अंदर प्रतिभाएं जन्म लेती है तथा वह अपने भाग्य का निर्माण भी करता है। अम्बेडकर आगे कहते है कि "समानता आदमी को आदमी, समूह को समूह, समुदाय को समुदाय के साथ बांधती है।" समानता लोगों को एकता के सूत्र में बांधने का एक माध्यम है। भ्रातृत्व वह आदर्श है जो स्वतंत्रता और समानता के लिए उपयुक्त वातावरण उत्पन्न करती है, जहां मानव उनके व्यवहार से लाभान्वित हो सकें। अम्बेडकर ने भ्रातृत्व का अर्थ बताते हुए स्पष्ट किया कि भारतीयों के बीच एक सामान्य भाईचारे की भावना है।

अम्बेडकर साम्यवादी विचारधारा के खिलाफ है और उन्हें सर्वहारा की तानाशाही के सिद्धांत पर आस्था नहीं थी। उन्होंने अमेरिकी गृहयुद्ध के महान् नेता द्वारा की गई लोकतंत्र की व्याख्या का उल्लेख किया और कहा 'जनता द्वारा जनता के लिए चुनी गई जनता की सरकार है।' उनके

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9, Issue 3, March - 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

अनुसार लोकतंत्र की और भी परिभाषाएं हो सकती है, मैं स्वयं लोकतंत्र को एक अलग ढंग से परिभाषित करता हूं अधिक मूर्त रूप में।

अम्बेडकर के अनुसार लोकतंत्र ऐसी सरकार है, जिसमें जनता के आर्थिक और सामाजिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन, रक्तहीन तरीके से किए जा सकें। अम्बेडकर पश्चिम के उदार लोकतांत्रिक आदर्श से प्रभावित है। उनके मन में ज्ञान की असीम इच्छा तथा विद्वानों के प्रति उनके मन में बड़ा सम्मान था। प्रशिक्षण तथा मानसिक दृष्टि से अम्बेडकर संवैधानिक लोकतंत्रवादी थे। उन्होंने सामाजिक भेदभाव तथा अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध तथा सिविल नाफरमानी का रास्ता अपनाया लेकिन वे संवैधानिक परिवर्तन को बेहतर मानते थे। उनका हिंसात्मक क्रांति में विश्वास नहीं था।

अम्बेडकर का मत था कि लोकतंत्र की सफलता के लिए कम से कम दो राजनीतिक दल हो - एक सरकार चलाने के लिए और दूसरा उस पर चौकसी रखने के लिए, जिससे वह स्वेच्छाधारी न बन सकें। प्रजातंत्र में विरोध का होना आवश्यक है, क्योंकि कमजोर विरोध सरकार पर सतर्क निगरानी तथा निरंतर चौकसी रखने में समर्थ नहीं होता। आगामी चुनाव तक विरोध पक्ष सरकार की गतिविधियों पर नजर रखता है। यही कारण है कि ब्रिटेन व कनाडा में विरोधी दल के नेता को शासन की ओर से संसद में पृथक कार्यालय, स्टेनोग्राफर, सचिव और आवश्यक स्टाफ दिए जाते है, जिससे वह विरोध पक्ष के दायित्व का निर्वाह सुचारु रुप से कर सकें।

अम्बेडकर का विचार था कि करोड़पतियों, मारवाड़ीयों, बनियों से सहायता लेकर संसदीय लोकतंत्र को सफल नहीं बनाया जा सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता व स्वाधीनता को बचाने के लिए यह आवश्यक है कि संसदीय प्रजातंत्र को बाहरी धन से बचाया जाए। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव तभी हो सकते है, जब उच्च वर्गों से धन लिए बिना चुनाव कराए जाएं अन्यथा भारत का संसदीय प्रजातंत्र अपने मूल उद्देश्यों से भटक जाएगा। यदि यह सफल होता है तो साम्यवादी व्यवस्था हस्तक्षेप करने लगेगी और हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी।

प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि संसदीय शासन व्यवस्था को सही अर्थों में जीवित रखने की दिशा में प्रयास करें। उनके अनुसार संसदीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का होना जरूरी है। राजनीतिक दल जनमत की अभिव्यक्ति और उसके क्रियान्वयन के अभिकरण है, किंतु व्यवहार

में राजनीतिक दल जनमत का निर्माण करते है। अम्बेडकर के मत में राजनीतिक दल को दो कार्य करने चाहिए, एक तो इसे जनता के साथ संपर्क स्थापित करना चाहिए और दूसरा जनता के बीच अपनी नीतियों और कार्यक्रमों का प्रचार करना चाहिए।

निष्कर्ष

अम्बेडकर एक ऐसे लोकतंत्र के समर्थक थे जो ब्राह्मणवाद के सिद्धांत की तरह जन्म पर आधारित नहीं हो, बल्कि योग्यता तथा गुण पर आधारित हो। अम्बेडकर चाहते थे कि शैक्षिक कुलीन तंत्र तथा सामाजिक गतिशीलता का समन्वय हो। उन्होंने लोकतंत्र में समतामूलक समाज की कल्पना की, जिसमें समान अवसरों का सिद्धांत कारगर ढंग से काम कर सके। उनके सामाजिक न्याय की अवधारणा राज्य, समाज, अछूत वर्ग पर मुख्य रूप से केंद्रित थी। उन्होंने अपने विचारों से अछूत वर्ग को जागृत करने का प्रयास किया और राज्यों को ऐसी शक्ति से संपन्न करना चाहा जिसके द्वारा वह न केवल इन वंचित वर्ग को अधिकार प्रदान करें बल्कि विशेष कानूनी प्रावधानों द्वारा दलित वर्ग के अधिकारों की सुरक्षा करें।

संदर्भ सूची

- हर्ष, हरदान (2000). डॉ. भीमराव अम्बेडकर जीवन और दर्शन, जयपुर: पंचशील प्रकाशन.
- भटनागर, राजेंद्र मोहन (1994). डॉ. अम्बेडकर व्यक्तित्व और कृतित्व, जयपुर: चिन्मय प्रकाशन.
- खिमेसरा, ज्ञानचंद्र (1995). डॉ. अम्बेडकर का आर्थिक चिंतन, भोपाल: मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी.
- चंदेल, डॉ. लोकेश कुमार (2013). अम्बेडकर और लोहिया का लोकतंत्र, जयपुर: राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी.
- सांभरिया, रत्नकुमार (2008). भारत रत्न डॉ. भीमराव अम्बेडकर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर: अम्बेडकर भवन.

- जाटव, डी. आर. (1989). राष्ट्रीय आंदोलन में डॉ. अम्बेडकर की भूमिका, जयपुर: समता साहित्य सदन.